कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम (म.प्र.)

क्र./3598/सर्वर रूम/2025 नर्मदापुरम दिनांक 09/10/2025

परिपत्र

मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में इलेक्ट्रानिक फाइलिंग (ई–फाइलिंग)

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15.01.2021 मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में इलेक्ट्रानिक फाइलिंग (ई–फाइलिंग) नियम 2020 का के भाग 4(ग) पृष्ठ कमांक 49 राजपत्र के अनुसार पृष्ठ कमांक 60 की कंडिका 2 में ''निर्दिष्ट पटलों के माध्यम से ई–फाईलिंग किसी भी न्यायालयीन कार्य दिवस पर 16:00 बजे तक अनुज्ञेय होगी। किसी भी दिन 16:00 बजे के पश्चात की गयी ऑनलाइन ई–फाईलिंग को उस तारीख के रूप में माना जाएगा जो वास्तविक फाइलिंग तारीख के बाद की तारीख के रूप में माना जाएगा जो वास्तविक फाइलिंग तारीख के बाद की तारीख है, बशर्ते वह न्यायालयीन कार्य दिवस हो। राजपत्रित आवकश के रूप में घोषित दिवस अथवा वह दिवस पर फाइल होना मानी जाएगी। परिसीमा की गणना के लिए, उपरोक्त उपबंधित के सिवाय ऑनलाइन ई–फाइलिंग उसी विधिक व्यवस्था के अध्यधीन होगी, जैसा कि भौतिक रूप से की गयी फाईलिंग पर लागू है।''

राजपत्र की कंडिका कमांक 03 के अनुसार ''ब्रेकडाउन, सर्वर डाउनटाइम, सिस्टम के रखरखाव या इस तरह की अन्य अनिवार्यताओं के अध्यधीन रहते हुए वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई–फाइलिंग की सुविधा प्रत्येक दिन के सभी चौबीस घंटों के लिए उपलब्ध होगी, जहॉ उपर उल्लिखित किसी भी कारण से ई–फाइलिंग संभव नहीं है, पक्षकार या तो न्यायालयीन कार्यदिवस पर निर्दिष्ट पटलों पर 10:30 से 13:30 बजे तक तथा 14:30 से 16:00 बजे तक ई–फाईलिंग के लिए पहुंच सकते हैं अथवा भौतिक रूप से प्रस्तुतीकरण का सहारा ले सकते हैं। वेब आधारित ऑनलाइन ई–फाइलिंग सुविधा की विफलता के आधार पर परिसीमा से छूट की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।''

अतः आप अधिवक्तागण/पक्षकारगण इस जिला स्थापना एवं समस्त तहसील न्यायालयों में प्रस्तुत करने वाले प्रकरणों को ई–फाईलिंग के माध्यम से समय प्रातः 10:30 बजे से 01:30 बजे तक एवं 02:30 बजे से 04:00 बजे सायं तक संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

वास्ते–प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म.प्र.)

प्रतिलिपिः– 3599/25

(1) समस्त न्यायाधीशगण/नर्मदापुरम/सोहागपुर/इटारसी/सिवनीमालवा /पिपरिया की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह अपने अधिनस्थ पदस्थ प्रवर्तन लिपिक/प्रस्तुतकार को निर्देशित करें कि ई–फाईलिंग के माध्यम से प्रस्तुत होने वाले प्रकरण को 04:00 बजे तक ही स्वीकार करना सुनिश्चित करें।

(2) समस्त (आफिस असिस्टेंट ई–सेवा केन्द्र)/केन्द्रीय पंजीयन लिपिक (दांडिक एवं सिविल) नर्मदापुरम/सोहागपुर /इटारसी/सिवनीमालवा /पिपरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वास्ते–प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म.प्र.)

मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में इलेक्ट्रानिक फाइलिंग (ई–फाइलिंग) नियम 2020

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227, सहपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 122 एवं मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 23 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 477 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के जिला न्यायालय के न्यायालयों के लिये ई–फाईलिंग के उपयोग से संबंधित कार्य और प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है;

1. संक्षिप्त नाम.–

इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में इलेक्ट्रानिक फाइलिंग (ई–फाइलिंग) नियम 2020" हैं।

2. प्रयोज्यता एवं प्रवर्तन.–

यह नियम मध्य प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में प्रकरणों की इलेक्ट्रानिक फाइलिंग (ई फाइलिंग) को तथा सिविल वाद, सिविल अपील, विविध सिविल वाद, निष्पादन, दांडिक परिवाद, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, जमानत आवेदन (लंबित प्रकरणों से भिन्न) दांडिक विविध वाद जैसे प्रकरणों के प्रवर्गों को लागू होंगे तथा इनकी अधिसूचना की तारीख से प्रवत्त होंगे।

3. परिभाषाएं.–

(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो: –

(क) **"कार्यवाही"** में सम्मिलित हैं, न्यायालय में संस्थित सभी कार्यवाहियाँ – जैसे कि वाद/वादपत्र, अभिवचन, आपराधिक परिवाद, याचिकाएँ, आवेदन/अंतरिम आवेदन, अनुलग्नकों, प्रदर्श, शपथ पत्र, ज्ञापन, दस्तावेज़, आदेश, सूचनाएँ एवं न्यायालय में अन्य प्रस्तुतिकरण जिनमें जवाबदावा/जवाब सम्मिलित हैं;

15. समय की गणना.–

(1) जहाँ भी परिसीमा/ समय सीमा लागू होती है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होगी कि फाइलिंग अंतिम तारीख और समय के पहले भली भांति कर ली गयी है। ई–फाइलिंग की तारीख वह तारीख मानी जाएगी जब किसी कार्य दिवस में निर्धारित समय के भीतर कार्यवाही इलेक्ट्रानिक रूप से न्यायालय/फाइलिंग काउण्टर में प्राप्त हुई हो। समय की गणना के लिए, जब ई–फाइलिंग की गयी है, भारतीय मानक समय (IST) लागू होगा।

(2) निर्दिष्ट पटलों के माध्यम से ई–फाइलिंग किसी भी न्यायालयीन कार्य दिवस पर 16:00 बजे तक अनुज्ञेय होगी। किसी भी दिन 16:00 बजे के पश्चात् की गयी ऑनलाइन ई–फाइलिंग को उस तारीख के रूप में माना जाएगा जो वास्तविक फाइलिंग तारीख के बाद की तारीख है, बशर्ते वह न्यायालयीन कार्य दिवस हो। राजपत्रित अवकाश के रूप में घोषित दिवस अथवा वह दिवस जब न्यायालय बंद हो, को फाइल की गयी कार्यवाही अगले कार्य दिवस पर फाइल होना मानी जाएगी। परिसीमा की गणना के लिए, उपरोक्त उपबंधित के सिवाय, ऑनलाइन ई–फाइलिंग, उसी विधिक व्यवस्था के अध्यधीन होगी, जैसा कि भौतिक रूप से की गयी फाइलिंग पर लागू हैं।

(3) ब्रेकडाउन, सर्वर डाउनटाइम, सिस्टम के रखरखाव या इस तरह की अन्य अनिवार्यताओं के अध्यधीन रहते हुए वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई–फाइलिंग की सुविधा प्रत्येक दिन के सभी चौबीस घंटों के लिए उपलब्ध होगी, जहाँ ऊपर उल्लिखित किसी भी कारण से ई–फाइलिंग संभव नहीं है, पक्षकार या तो न्यायालयीन कार्यदिवस पर निर्दिष्ट पटलों पर 10:30 से 13:30 बजे तक तथा 14:30 से 16:00 बजे तक ई–फाइलिंग के लिए पहुँच सकते हैं अथवा भौतिक रूप से प्रस्तुतीकरण का सहारा ले सकते हैं। वेब आधारित ऑनलाइन ई–फाइलिंग सुविधा की विफलता के आधार पर परिसीमा से छूट की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) ऑनलाइन ई–फाइलिंग को नियंत्रित करने वाले परिसीमा के प्रावधान वही होंगे जो भौतिक रूप से प्रस्तुतीकरण पर लागू होते हैं। इस तरह की कार्यवाहियों के